

सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अध्याय-2 की  
धारा-4 (1) ख (17)

मैनुअल संख्या-17

ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाये, और तदनुसार इन प्रकाशनों  
को प्रत्येक वर्ष अपडेट करेगा

इस मैनुअल को तैयार करने में यद्यपि यथोचित सावधानियाँ बरती गयी है, तथापि इसके प्रकाशन में यदि कोई त्रुटि/सुझाव रह गये हो तो कृपया अवस्थापना भवन, 583-ठ, राजकीय आई0टी0आई0 निरंजनपुर के सामने, माजरा, सहारनपुर रोड, देहरादून- 248001 को डाक द्वारा या टैलीफैक्स नम्बर 0135-2522941 या ई-मेल [bridcul@gmail.com](mailto:bridcul@gmail.com) पर सूचित करें।

## मैनुअल-17

चूंकि ब्रिडकुल (पूर्व में उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम लि0) 25 मार्च, 2008 से अस्तित्व में आने के कारण वर्तमान में निगम से संबंधित समस्त औपचारिकताओं व दस्तावेजों की पूर्ति के लिए निगम के समस्त अधिकारी व कर्मचारीगण इस हेतु तत्पर हैं। शीघ्र ही भविष्य में समस्त तरह की औपचारिकताओं की पूर्ति कर ली जायेगी व प्रत्येक वर्ष उसके संशोधनों सहित पुनः फाईलिंग करने हेतु भी निगम तत्पर रहेगा।